संख्या-36/2018/1949 ई-2/तेरह-2018-46/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 19 मई,2018

विषयः-वर्ष 2018-19 हेतु मदिरा की दुकानों के पॉंचवे चरण के व्यवस्थापन हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-31/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19, दिनांक 15 मई,2018 तथा इस सम्बन्ध में दि0 17 मई,2018 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-1939 ई-2/तेरह-2018-46/2017, दिनांक 17 मई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2018-19 हेतु मदिरा की दुकानों के पॉंचवे चरण के व्यवस्थापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) देशी शराब की कतिपय दुकानें, जिनका वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 शासनादेश दिनांक 25-01-2018 के प्रस्तर-1.7 के अन्तर्गत उनकी प्रास्थिति हेतु नवसृजित दुकानों के न्यूनतम् एम0जी0क्यू0 के बराबर किये जाने के कारण उनमें लाटरी के गत चार चरणों में अभ्यर्थियों की कोई रूचि प्रदर्शित नहीं हुई है। अतः राजस्व संरक्षण की दृष्टि से प्रास्थिति से आच्छादित दुकानों को प्रास्थिति अनुसार एम0जी0क्यू0 निर्धारण की बाध्यता से मुक्त कर वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 अथवा वास्तविक उपभोग, जो अधिक हो, को 08 प्रतिशत बढ़ाकर न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जाय। ऐसे निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 पर व्यवस्थापन के पंचम चरण में ई-टेण्डर/ऑफर मांगकर व्यवस्थापन कराया जाय।

(2) देशी शराब की ऐसी अव्यवस्थित दुकानें जो उपरोक्त बिन्दु-(1) से आच्छादित न हो, के वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 के 80 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम एम0जी0क्यू0 निर्धारित करते हुये ऐसे न्यूनतम निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 पर ई-टेण्डर/ऑफर मांग कर व्यवस्थापन कराया जाय।

(3) विदेशी मदिरा, बीयर व माडल शाप्स के अव्यवस्थित दुकानों के वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की कमी करते हुये न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित करते हुये उस पर ई-टेण्डर/ऑफर मांग कर व्यवस्थापन कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उपरोक्त बिन्दु-(1), (2) व (3) में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0/वार्षिक लाइसेंस फीस के ई-टेण्डर/ऑफर को स्वीकार किया जाय। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम् ई-टेण्डर/ऑफर प्राप्त होते हैं, तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेण्डर/ऑफर में से एक को चुनकर व्यवस्थापन कराया जाय।

(5) देशी मदिरा की दुकान के संदर्भ में स्वीकृत ई-टेण्डर/ऑफर से प्राप्त वार्षिक एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जाय। इसी प्रकार विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडल शाप की फुटकर दुकान के संदर्भ में स्वीकृत ई-टेण्डर/ऑफर से प्राप्त वार्षिक लाइसेंस फीस को रू0 5,000 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जाय।

(6) देशी मदिरा की दुकानों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार चयनित ई-टेण्डर/ऑफर में प्राप्त सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0 (12 के गुणांक में) में से व्यपगत अवधि के एम0जी0क्यू0 को घटाकर वर्ष की अवशेष अवधि हेतु एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जाय तथा तद्नुसार बेसिक लाइसेंस फीस जमा कराई जाय।

(7) शेष शर्तें व अर्हताएं पूर्ववत् रखी जायं।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।